

2025/460.

सेवा में,

ग्रामीण सेवा शिविर अभियान-2025

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

बेगूं (राज.)

विषय: अधिसूचना अनुसार बैंक का नाम परिवर्तित किये जाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-04-2025 को जारी असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329 के अनुसार राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक का समामेलन स्वीकृत कर एकीकृत संस्था का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक होगा। अधिसूचना के अनुसरण में प्राचीन पटवार हल्का पारसोली हल्का पटवार मण्डल बेगूं गाम में वर्तमान रोटेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 20 पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक भूमि रहन दर्ज रेकॉर्ड है, जिसमें अधिसूचना अनुसार राजस्थान ग्रामीण बैंक दर्ज करवाने की कृपा करावें।

दिनांक / /2025

हस्ताक्षर प्रार्थी

रिपोर्ट पटवार हल्का बेगूं तहसील-बेगूं (राज.)

महोदयजी,

भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-04-2025 को जारी असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329 के अनुसार राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक का समामेलन स्वीकृत कर एकीकृत संस्था का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक से प्रस्तावित संशोधन किया जाना उचित है।

भू-अभिलेख निरीक्षक पारसोली

पटवारी पटवार हल्का बेगूं

11/10/25

कार्यालय तहसीलदार बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक: राजस्व/2025/.....

दिनांक / /2025

मूल ही प्रार्थना पत्र श्रीमान् शिविर प्रभारी महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक के बजाय राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है।

तहसीलदार बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं (राज.)

पारसोली (चित्तौड़गढ़)

क्रमांक: राजस्व/2025/ 88

दिनांक 3 / 11 /2025

हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार बेगूं के राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है। पटवारी हल्का बेगूं राजस्व रिकॉर्ड में उक्त संशोधन की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,  
बेगूं जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)